

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-2074

दिनांक: 25/1/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	16	लक्ष्मीनारायण विहार (निजी खातेदारी)	श्रीमती बीना मित्तल पत्नी श्री सतीश चन्द गोयल	श्रीमती बीना मित्तल पत्नी श्री सतीश चन्द गोयल एवं श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री कस्तूर चन्द मित्तल	हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर
2	325	केसर नगर (निजी खातेदारी)	श्रीमती दरबी पत्नी स्व० श्री प्रीतम सिंह गुर्जर	श्री प्रीतम सिंह गुर्जर पुत्र श्री चतर सिंह गुर्जर	हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

59
उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:—जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

26/1/22
109



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/पीआरएन-उत्तर-द्वितीय/2022/डी- 1025 दिनांक:- 23/7/22

--सार्वजनिक सूचना--

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	कानी देवी/जमन लाल (हथरोईगढी गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-चन्दा विहार)	53	200
2	मदन लाल चौधरी/सूरजमल चौधरी (श्री महावीर स्वामी गू0नि05050लि0की योजना-सूरज नगर विस्तार)	बी-2	873
3	जमन लाल/चन्दा राम कटारिया (हथरोईगढी गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-चन्दा विहार)	47	232
4	सीता देवी/कमल कटारिया (हथरोईगढी गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-चन्दा विहार)	51	200
5	प्रियंका कंवर/देवेन्द्रराम कंवर (हथरोईगढी गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-चन्दा विहार)	22	193
6	नगजी राम गुर्जर/लादूराम गुर्जर (टेगोर गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-शिव नगर)	6ए	100
7	रामनिवास सिंह नाथावत/हनुमान सिंह (अशोकपुरा गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-कान्हा विहार)	जी-22	66.66
8	ग्यारसी कंवर/भवर सिंह (टेगोर गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-पार्वती विहार विस्तार)	44	150
9	भोगती देवी/कानाराम कुमावत (श्री लक्ष्मी गू 0 नि 0 5050लि0की योजना-श्री गिरिराज विहार)	42बी	157
10	सरला जैन/हरक चन्द जैन (अपोलो नगर हा0 को0 सो0 लि0 योजना-जगदम्बा नगर)	152सी	166.66
11	मैसर्स विनायक बिल्डर्स जर्सिये प्रो0 सौभाग्यचन्द शर्मा एंव राजेन्द्र यादव (अपोलो नगर हा0 को0 सो0 लि0 योजना-जगदम्बा नगर डी)	600ए	133.33
12	मैसर्स विनायक बिल्डर्स जर्सिये प्रो0 सौभाग्यचन्द शर्मा एंव मोहन लाल (अपोलो नगर हा0 को0 सो0 लि0 योजना-जगदम्बा नगर डी)	660	133.33
13	गमता/प्रहलाद यादव (गुलाब बाडी गवन नि 0 50 50 लि 0 योजना-विकास नगर)	123ए	300

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

BR/AR-10/20
26/7/22

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापि का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञापि प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2. उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञापि कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाण प्रस्तावित है। सूचनाार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11

जविप्रा जयपुर

पी.आर.एन. उत्तर-11

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-11

जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2147

दिनांक:- 25/7/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-डी-560 का आवंटन सुश्री वन्दना भटनागर पुत्री श्री प्रेम भटनागर को जारी किया गया था। सुश्री वन्दना भटनागर के द्वारा अनरजिस्टर्ड बिल पुनित भटनागर एवं श्रीमती गीता भटनागर को की गयी सुश्री वन्दना भटनागर पुत्री श्री प्रेम भटनागर की मृत्यु दिनांक 01.03.2015 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। इनके तीन वारिस (पिता) (1.) डॉ प्रेम भटनागर की मृत्यु दिनांक 24.04.2019 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (2) माता उर्मिला भटनागर की मृत्यु दिनांक 14.06.2007 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (3) भाई पुनीत भटनागर उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्री पुनीत भटनागर एवं श्रीमती गीता भटनागर उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/पट्टा पत्र जारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

20

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1 जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

26/7/22

A

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2148

दिनांक:- 25/8/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-सी-364 का पट्टा श्रीमती मृदुल श्रीवास्तव पत्नी श्री हरिश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री हरिश कुमार श्रीवास्तव को जारी किया गया था। श्री हरिश कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 21.09.2005 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती मृदुल श्रीवास्तव पत्नी श्री हरिश कुमार श्रीवास्तव उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र/पट्टा जारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

PRD/R-1012
26/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141-2573150 (0) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2149

दिनांक- 25/7/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना झालाना फेज-III के भूखण्ड संख्या-ए-111 का आवंटन श्री गोविंद राम पुत्र श्री जैलाराम को किया गया था। श्री गोविंद राम पुत्र श्री जैलाराम द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण को बेचान किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र/पट्टा जारी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PLD/1013
26/7/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2022/डी-1792

दिनांक 25/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित करें।


क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी-31	निजी खातेदारी की प्रिम वृन्दावन (अग्रसेन नगर) योजना	अनुपमा भटनागर पत्नी श्री मधुसुदन भटनागर, 2 नमिता भटनागर जरिये मु.आम अनुपमा भटनागर, 3 देविका सरन जरिये मु.आम. अनुपमा भटनागर 4. कविता भटनागर पत्नी श्री सुमित भटनागर	मधु सुदन तार पुत्र श्री डा. एन.प्रसाद	स्वघोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (सजरा)


उपायुक्त (जोन-10) विभागीय
जयपुर-जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि: -

जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त (जोन-10)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी-5105

दिनांक:- 25/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया है। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	S-40	11.11 वर्ग गज	बैंक आफिसर्स केम्पस डी ब्लॉक	श्री राजेश दुधेरिया एवं श्री संजय दुधेरिया पुत्रान् स्व. श्री विजय सिंह दुधेरिया	श्रीमती उमा दुधेरिया पत्नी स्व. श्री विजय सिंह दुधेरिया	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा शपथ पत्र के आधार पर।
1	S-39	11.11 वर्ग गज	बैंक आफिसर्स केम्पस डी ब्लॉक	श्री राजेश दुधेरिया एवं श्री संजय दुधेरिया पुत्रान् स्व. श्री विजय सिंह दुधेरिया	श्रीमती उमा दुधेरिया पत्नी स्व. श्री विजय सिंह दुधेरिया	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9
उपायुक्त, जोन-9
जविप्रा, जयपुर

26/7/22

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....1582

दिनांक.....26-7-22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शिवजीराम कॉलोनी विकास समिति (निजी खातेदारी) की योजना शिवजीराम कालोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम सोडाला तहसील जयपुर	3	0.4932 है.	0.4932 है.	गौरी शंकर, प्रभूदयाल, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण पुत्रान् श्री श्योजी प्रत्येक हि. 1/4

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....26-7-22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sel.
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी- 1628

दिनांक. 25/7/22

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक: से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	81	न्यू पिकसिटी	श्रीजी नगर	श्री मनीष जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन	लीजधारक श्री मदन गोपाल शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा	मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.200 एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 11.02.2004 एवं 19.01.2004, 11.03.2008 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.04.2005 रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 30.09.2020 आदि।
2	85	इन्दिरा नगर	चन्द्रकला कॉलोनी	श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री ऋषभ चन्द जैन एवं अनिल कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन	मूल आवंटी श्री कांति कमल शर्मा	आवंटन पत्र रजिस्टर्ड मुख्यारनामा दिनांक 18.05.2009 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2009 एवं अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 18.05.2009 इत्यादि।
3	84	इन्दिरा नगर	चन्द्रकला कॉलोनी	श्रीमती मनोरमा देवी जैन पत्नी श्री प्रकाश चन्द जैन	श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र श्री राधा रमण शर्मा	आवंटन पत्र दिनांक 11.10.1980 रजिस्टर्ड मुख्यारनामा दिनांक 24.05.1995 प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 24.04.1995 आदि।
4	49 बी	सिन्धु नगर	छत्रसाल नगर	श्रीमती संगीता सैन पत्नी श्री ताराचन्द सैन	श्री गणेश वरमन पुत्र श्री गोपाल वरमन एवं श्री कोलेन्द्र नाथ राव पुत्र श्री नमो नाथ राव	आवंटन पत्र दिनांक 28.01.1981 अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 13.01.2003 एवं श्री विमल वरमन पुत्र श्री लंकेश्वर वरमन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.06.2017 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2022 आदि।

✓ PRO, JDA


PRO R-1078
26/7/22

25/07/22
उपस्थित जोन-4
उपायुक्त, जोन-4
जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-1609

दिनांक 23/07/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी-59	छत्रशाल नगर	श्री रामअवतार वर्मा पुत्र स्व. श्री पोखर चन्द	श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री एम.पी. जैन	अपंजीकृत इकरानामा दिनांक 08.10.1993 आदि।
2	सी-64-ए	छत्रशाल नगर	श्री मदन लाल पुत्र श्री नारायण	मदन लाल वर्मा पुत्र श्री नारायण	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान आदि।
3	सी-64-सी	छत्रशाल नगर	श्री रमेश चन्द जसोदिया पुत्र श्री कजोडमल जसोदिया	श्री शम्भू निराला पुत्र श्री राम निवास निराला	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान आदि।
4	सी-16	छत्रशाल नगर	श्रीमती बबीता माथुर पत्नी श्री उमेश मोहन माथुर	श्रीमती राज रानी शर्मा पत्नी श्री प्रेम विहारी शर्मा	अपंजीकृत इकरानामें दिनांक 25.09.1996, 28.03.2000 एवं 01.06.2001 आदि।

23/07/22
उपायुक्त जोन-4
उपायुक्त जोन-4 जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-


- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवेदकगणों श्री..... को सूचनार्थ प्रेषित है।

26/7/22

उपायुक्त जोन-4
उपायुक्त जोन-4 जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-2019

दिनांक 21/7/22

सार्वजनिक सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों द्वारा इन्दिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "अशोक विहार ए से ई" के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री धीरू भाई उपाध्याय पुत्र श्री शिव दत्ता उपाध्याय	बी-12	200
2	श्रीमती विमला शर्मा पत्नी स्व. श्री धनश्याम शर्मा	बी-09	206
3	श्री वेद प्रकाश महर्षि पुत्र स्व. श्री नाथू लाल महर्षि	ए-29	222.22
4.	श्रीमती राधा देवी शर्मा पत्नी श्री महेश कुमार शर्मा	ए-14	199.46

उक्त भूखण्ड संख्या-बी-12 का आवंटन पत्र स्नहेलता जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन एवं भूखण्ड संख्या-बी-09 का आवंटन पत्र मनोरमा देवी पत्नी श्री नाथूलाल जी एवं भूखण्ड संख्या-ए-29 का आवंटन पत्र श्रीमती छाया अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल तथा भूखण्ड संख्या-ए-14 का आवंटन पत्र श्रीमती राधा देवी शर्मा पत्नी श्री महेश कुमार के नाम जारी किया गया था उप रजिस्टार सहकारिता से प्रमाणित सूची में भूखण्ड संख्या ए-14 पर श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री शंकरलाल बैरवा पत्र का व भूखण्ड संख्या बी-12 पर ममता देवी पुत्री श्री राधेश्याम व भूखण्ड संख्या बी-09 पर श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री ले. कर्नल बी.डी. शर्मा व भूखण्ड संख्या ए-29 पर प्रभूनाथ पुत्र श्री बिरदा का नाम अंकित है। उक्त भूखण्डों का संशोधित आवंटन पत्र/इकरारनामे/प्रमाणित सदस्यता सूची/संशोधित सदस्यता सूची एवं विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तातरित/लीजडीड भूखण्डधारियों के पक्ष में जारी किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया जाना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर योजना "अशोक विहार ए से ई" के उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

2. श्री


PRO R-1078
24/7/22

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी- 2032

दिनांक 25/7/22


सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल शर्मा द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना "हरे कृष्णा विहार-सी विस्तार" के निम्नलिखित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल ब.ग. में
1	श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल शर्मा	एस-01	159.07


उक्त भूखण्ड संख्या एस-01 की लीजडीड दिनांक 12.09.2011 को श्री नन्दलाल शर्मा पुत्र श्री गणपतलाल शर्मा को जारी किया गया है श्री नन्दलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल कि मृत्यु दिनांक 02.02.2021 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्री नन्दलाल शर्मा के वारिसान (1) श्री दामोदर प्रसाद शर्मा (पुत्र) (2) श्री हेमन्त कुमार नन्दलाल शर्मा (पुत्र) (3) श्री दिलीप शर्मा (पुत्र) (4) श्रीमती किरण शर्मा धर्मपत्नि श्री रतनलाल शर्मा (पुत्री) (5) श्रीमती हेमलता शर्मा धर्मपत्नी श्री रामलाल शर्मा (पुत्री) के द्वारा उक्त भूखण्ड के लिये श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल शर्मा के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तान्तरण प्रार्थी श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल शर्मा के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टे की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण-11
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
- श्री सुभाष शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल शर्मा निवासी-माँ 1, न्यू आर्शिवाद नगर, वॉटर टैंक के पास, यूनिवर्सिटी रोड, शेभागपुरा, गिर्वा, उदयपुर राज. को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-1079
26/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-2033

दिनांक 25/7/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम हरचन्द बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 542, 612 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "श्री राम वाटिका विस्तार" की मानचित्र अनुमोदन (जेडएलसी) की मूल पत्रावली इस कार्यालय से गुम हो गयी है, जिसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा तलाश पत्र क्रमांक 1520 दिनांक 06.6.2022 के द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त योजना की गुमशुदगी की रिपोर्ट थानाधिकारी, गांधी नगर, जयपुर में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 14.7.2022 के द्वारा दर्ज करवाने हेतु पत्र जारी किया गया। अतः ग्राम हरचन्द बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 542, 612 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "श्री राम वाटिका विस्तार" का नियम शिविर आयोजित किया जाना है। उक्त योजना के नियमन शिविर आयोजित किये जाने तथा मूल पत्रावली/भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार प्रकरण में नियमन शिविर आयोजित करने की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:-

- ✓ जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-1020
26/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी- 2775

दिनांक 26/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम
1.	4ए	श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री रामकिशन	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
2.	26	श्री ओमप्रकाश मीणा पुत्र श्री रामफुल मीणा	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
3.	11	श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
4.	4	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री जमना लाल जाट	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
5.	2ए	श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री श्योनारायण जाट	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
6.	2	श्रीमती मोहरी देवी पत्नी श्री रामजीवन जाट	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर
7.	28	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गोविन्द प्रकाश	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	राधा स्वामी नगर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRJR-1021
26/7/22

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:
dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-2263

दिनांक: ~~22-7-22~~

विज्ञप्ति/सूचना

25-7-22

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू. सं.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.-4	शिवपुरी-बी (शंकर भवन गृनिसस)	श्री कृष्ण कुमार सिंह, देवेन्द्र सिंह, अजीत सिंह पुत्रान श्री बच्चन सिंह	ओमकंवर पत्नी श्री श्री कृष्ण कुमार सिंह	उत्तराधिकार के प्रकरण के सम्बन्ध में।
2.	भू.सं.-329	स्कीम 15ए शिवनगर (म्युचुअल हा.कॉ.सो.)	श्री बाबूलाल मित्तल पुत्र श्री सूरजमल मित्तल	श्रीमती पुष्पा मित्तल पत्नी श्री बाबूलाल मित्तल	उत्तराधिकार के प्रकरण के सम्बन्ध में।
3.	भू.सं.-21	उषा कॉलोनी (शंकर भवनगृनिसस)	श्री बाबूलाल मित्तल पुत्र श्री सूरजमल मित्तल	श्रीमती पुष्पा मित्तल पत्नी श्री बाबूलाल मित्तल	वसीयत के आधार पर।
4.	भू.सं.-326	मुरलीपुरा योजना (जविप्रा)	श्री शंकरलाल रावत पुत्र श्री मुरारीलाल	श्री दौलत पुत्र श्री भौरीलाल	अपजीकृत दस्तावेजात् के आधार पर।
5.	भू.सं.-254	उद्योग नगर (दी कृष्णा नगर गृ. नि.स.स.)	श्री भानु पारीक पुत्र श्री महेश चन्द पारीक	श्री महेश चन्द पारीक पुत्र श्री रामेश्वर पारीक	वसीयत के आधार पर।
6.	भू.सं. ए-82	मुरलीपुरा योजना (जविप्रा)	श्री गुरुशरण साहनी पुत्र श्री कुलदीप सिंह साहनी	श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह साहनी	पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
7.	भू.सं. ए-83	मुरलीपुरा योजना (जविप्रा)	श्री गुरुशरण साहनी पुत्र श्री कुलदीप सिंह साहनी	श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह साहनी	पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
8.	भू.सं.-2	गणेश नगर (श्री गणपति गृनिसस)	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह	श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री सुण्डाराम	पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PRO/R-1042
26/7/2022

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101958

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री SHIV NARAYAN MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी THITOL KEE DHANI, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SHIVNARAYAN	772/82	400	0.04
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SHIVNARAYAN	790/77	900	0.09
				कुल	0.13

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



उपयुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to- PRO, JDA, Jaipur.

PRO/R-1022
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101875

दिनांक: 20/07/2022

लोक सूचना

श्री HARSHVARDHAN JAIN पुत्र श्री REKHRAJ JAIN जाति JAIN निवासी MAHAVEER MARG ,VILL. NINDER, V.K.I. AREA, JAIPUR-302013

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नीदड़, आमेर (जयपुर)	HARSHVARDHAN JAIN U/ F HARSHVARDHAN KHANDA	3547/3361	1300	0.13
कुल					0.13

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-07-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRD/R-1035
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101957

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति SUMAN MEENA पत्नी श्री RAMKISHN MEENA जाति MEENA निवासी 41-42, MOHAN NAGAR KALIYANPUR, MANSAROVARA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	783/79	600	0.06
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	793/81	800	0.08
कुल					0.14

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



उपायुक्त जोन-14
प्रा. जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy TO - PRO. JDA, Jaipur.

PRO/R-1023
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101961

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति SUMAN MEENA पत्नी श्री RAMKISHN MEENA जाति MEENA निवासी 41-42, MOHAN NAGAR KALIYANPUR, MANSAROVARA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	784/79	600	0.06
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	794/81	100	0.01
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	806/80	700	0.07
कुल					0.14

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।



Copy To - PRO, JDA, Jaipur.

PRO/R-1024
26/7/22

21-
उपायुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101967

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति HANSA DEVI पत्नी श्री RAMJI LAL जाति MEENA निवासी KUMHARO KA MOHALLA,
BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HANSA DEVI	779/79	1500	0.15
				कुल	0.15

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



017-
उपर्युक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to: PRO, JDA, Jaipur

PRO/R/1025
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101962

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री HARPHOOL MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 73, MEENA KA MOHALLA, JAIN MANDIR ORAD SANGANER JAIPUR RAJ.

श्रीमति SUMAN MEENA पत्नी श्री RAMKISHN MEENA जाति MEENA निवासी 41-42, MOHAN NAGAR, KALYANPURA MANSAROVAR JAIPUR RAJ.


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HARPHOOL	766/82	300	0.03
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HARPHOOL	781/79	100	0.01
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HARPHOOL	801/78	400	0.04
4.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	782/79	200	0.02
5.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	SUMAN	792/81	300	0.03
				कुल	0.13

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



Copy to - PRO, JDA, Jaipur.

PROJ-1026
26/7/22

21/7
उपायुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101963

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री HARPHOOL MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 73, MEENA KA MOHALLA, JAIN MANDIR ORAD SANGANER JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HARPHOOL	777/82	600	0.06
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HARPHOOL	800/78	900	0.09
				कुल	0.15

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।

217
उपायुक्त जोन-14

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Copy to - PRO, JDA, Jaipur.

PRO/R-1027
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101966

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री SHIV NARAYAN MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी THITOL KEE DHANI, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.

श्री PRABHU LAL MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 66, RUKMANI SADAN NINBU KA BAG, BAJRANG COLONY, BAS BADANPURA, JAIPURA RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, वाकसू (जयपुर)	SHIVNARAYAN	774/82	300	0.03
2.	खेडा जगननाथपुरा, वाकसू (जयपुर)	SHIVNARAYAN	789/77	700	0.07
3.	खेडा जगननाथपुरा, वाकसू (जयपुर)	PRABHULAL	776/82	200	0.02
4.	खेडा जगननाथपुरा, वाकसू (जयपुर)	PRABHULAL	788/77	200	0.02
कुल					0.14

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।

उपर्युक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to: PRO, JDA, Jaipur.

PRO R-1088
26/7/22



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101960

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति DHOLI DEVI पत्नी श्री RAMCHANDRA MEENA जाति MEENA निवासी VILLAGE BEELWA KALAN JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	DHOLI DEVI	787/77	1300	0.13
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	DHOLI DEVI	798/78	700	0.07
				कुल	0.2

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

copy to - PRO. Jda Jaipur.

PRO/R-1029
25/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101956

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री LOKESH MEENA पुत्र श्री RAM KISHAN MEENA जाति MEENA निवासी 41-42, MOHAN NAGAR KALIYANPUR, MANSAROVARA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	LOKESH MEENA	771/82	500	0.05
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	LOKESH MEENA	791/77	2800	0.28
कुल					0.33

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।

उपस्थित जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Copy to - PRO, JDA, Jaipur.

PRO/R-10280
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101970

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री BABULAL MEENA पुत्र श्री BHORILAL MEENA जाति MEENA निवासी 9, NEAR RAILWAY STATION, MOHAN NAGAR, KALYANPURA, SANGANER, JAIPUR RAJ.

श्री KAILASH MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 28/29, RADHA GOVIND VIHAR, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	BABULAL	765/82	1400	0.14
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	BABULAL	804/83	100	0.01
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAILASH	805/83	100	0.01
				कुल	0.16

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



उपायुक्त जोन-14
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy To: PRO, JDA, Jaipur.

MS/R-1031
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101968

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री KAILASH MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 28/29, RADHA GOVIND VIHAR, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAILASH	767/82	1600	0.16
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAILASH	768/82	100	0.01
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAILASH	795/81	50	0.005
4.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	KAILASH	805/83	100	0.01
कुल					0.185

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to PRO JDA, Jaipur.

PRO R-1032
26/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101959

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्रीमति HANSA DEVI पत्नी श्री RAMJI LAL जाति MEENA निवासी KUMHARO KA MOHALLA,
BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	HANSA DEVI	780/79	1700	0.17
कुल					0.17


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।

उपर्युक्त जान-14

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Copy to - PRO, JDA, Jaipur.

PRO R-1033
25/7/22

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101965

दिनांक: 25/07/2022

लोक सूचना

श्री PRABHU LAL MEENA पुत्र श्री GOPIRAM MEENA जाति MEENA निवासी 66, RUKMANI SADAN NINBU KA BAG BAJRANG COLONY BAS BADANPURA JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	PRABHULAL	797/81	200	0.02
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	PRABHULAL	807/80	700	0.07
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	PRABHULAL	810/85	100	0.01
कुल					0.1

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।


यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 25-07-2022 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Copy to - PRO, Jda Jaipur.

PRO/R-1034
26/7/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 2257

दिनांक :- 25.7.22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	ई-14	श्याम नगर विस्तार	श्रीमती सुमित्रा जैन पत्नी श्री अरुण जैन एवं श्री अरुण जैन पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जैन	श्रीमती इमरती देवी जैन पत्नी स्व. श्री ताराचन्द जैन, श्रीमती सुमित्रा जैन पत्नी श्री अरुण जैन एवं श्री अरुण जैन पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जैन	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	-	142 बी	स्वामी विहार	श्रीमती मीनाक्षी स्वामी पत्नी श्री मुकुल स्वामी	श्री राम अवतार महर्षि पुत्र श्री गिरधारी लाल महर्षि	मूल दस्तावेज गुम होने एवं अपंजीकृत दस्तावेज
3.	-	617	कटेवा नगर	श्री मोहन लाल पुत्र श्री राम सहाय	श्री मोहन लाल पुत्र श्री राम सहाय	आवंटन पत्र व सदस्यता सूची के नाम में भिन्नता
4.	-	जी-56	श्याम नगर विस्तार	श्री सुशील इम्मेनवेल, श्रीमती शीना मसीह व श्री बिन्नी राजन	बी. मसीह पत्नी श्री सुशील इम्मेनवेल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र
5.	-	61	वृन्दावन विहार	श्री निरभ मेहता पुत्र स्व. श्री सज्जन राज मेहता	श्री सज्जन कुमार मेहता (एचयूएफ)	मृत्यु प्रमाण पत्र
6.	111648	567	सूर्य नगर	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री सूरज मल शर्मा	श्री श्याम लाल शर्मा पुत्र श्री सूरज मल शर्मा	सहकारी समिति की मूल रसीद गुम होने बाबत

उपायुक्त जोन-5


प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 2258

दिनांक :- 25.7.22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	39	पटेल नगर	श्री राजीव श्रीमाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह श्रीमाल	निजी खातेदारी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

PRO/R-103
25/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004.

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 2267

दिनांक :- 26-7-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	615	शांति नगर	श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन	श्री पारस मल जैन पुत्र श्री ऋषभ चन्द जैन	अपजीकृत इकरारनामा
2.	110718	94	पृथ्वीराज नगर	श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी स्व. श्री हरि नाथ शर्मा एवं श्री हितेश नाथ पुत्र स्व. श्री हरि नाथ शर्मा	श्री वेद प्रकाश सिंघल पुत्र श्री रामचन्द्र सिंघल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

प्रतिलिपि:-


- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम मुहाना आई.डी. 1004) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-2044 दिनांक 26/7/22


विज्ञप्ति / सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
ग्राम भग्गोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 710 क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर, ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 1389 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर, ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-782 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर	श्रीमती गुल्ली देवी, श्री जगदीश बैरवा, लालराम, छोटीलाल बैरवा, ग्यारसीलाल बैरवा, गंगा, प्रभूदयाल, सुवालाल, शंकरलाल, मंगली देवी, लाली देवी, कमला देवी, अर्जुन कुमार, भगवान सहाय	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण, आवंटन पत्र, लीजडीड जारी किये जाने के कारण


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-1044
26/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3531

दिनांक.....25-7-2022

लोक सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उराके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उराके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तांतरितियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
कल्याणपुरा तहसील सांगानेर	51/859	0.04	1. रघुवीर सिंह पुत्र प्रतापसिंह हिरसा - 25/88 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 2. रविप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद हिरसा-63/88 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार
	53	0.39	रवि प्रकाश पुत्र जगदीश हिस्सा 63/88 सा. देह खातेदार
	54	0.49	
	121	0.09	आर. प्रिया पत्नी बी. राम हिस्सा 11/21 जाति मीणा निवासी 16 एस. एस. ब्लॉक नई दिल्ली खातेदार, संग्राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हिस्सा 10/21 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
	122	0.12	
	55	0.30	1. नसीब कौर पत्नी अरविन्दजीतसिंह हिस्सा-209/2000 जाति-सलावत सा.5 जैन मन्दिर के पास राजावत फार्म मानसरोवर खातेदार 2. रघुवीर पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा- 1791/2000 जाति- राजपूत सा.देह खातेदार,
	55/1	0.13	करणीसिंह पुत्र हिम्मतसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपूत सा. मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर खातेदार,
	56	0.54	1. ऋषिराजसिंह पुत्र प्रहलादसिंह हिस्सा- 25/108 जाति- जैन नि.बर तह. रामपुथला पाली खातेदार 2. गोरधनसिंह पुत्र चतुर पाल सिंह हिस्सा- 25/108 जाति- राजपूत नि.संतोषी माता का मन्दिर, जमनालाल मुंशी का रास्ता पुरानी बस्ती जयपुर खातेदार 3. जितेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा- 25/108 जाति-राजपूत नि. संतोषी माता का मन्दिर, जमनालाल मुंशी का रास्ता पुरानी बस्ती जयपुर खातेदार, 4. मदनसिंह पुत्र नारायणसिंह हिस्सा- 25/108 जाति- राजपूत नि. संतोषी माता का मन्दिर, जमनालाल मुंशी का रास्ता पुरानी बस्ती जयपुर खातेदार 5. रघुवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह हिस्सा- 61/2700 जाति-राजपूत नि. संतोषी माता का मन्दिर, जमनालाल मुंशी का रास्ता पुरानी बस्ती जयपुर खातेदार, 6. सुलोचनाजैन पहाडिया पत्नी पुखराज पहाडिया हिस्सा- 139/2700 जाति-जैन नि.34 इन्द्राकोलोनी जयपुर खातेदार,
	56/1	0.01	हिम्मतसिंह पुत्र अजीतसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति-राजपूत नि.मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर खातेदार,
	895/55	0.11	
	57	0.30	1.अकितारसिंह पुत्री विजयशंकर सिंह हिस्सा- 587/2000 जाति-राजपूत नि.20ए हीराबाग जयपुर खातेदार 2. अमरसिंह राठौड पुत्र भगवतसिंह हिस्सा- 163/1500 जाति राठौड सा. देह खातेदार 3. एकतासिंह पत्नी नितिनकुमार हिस्सा- 587/2000 जाति- राजपूत नि.ए-16पवन विहार जगतपुरा खातेदार 4. रघुवीर सिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा- 587/3000 जाति- राठौड सा. देह खातेदार, 5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह राठौड हिस्सा - 163/1500 जाति राजपूत सा. देह खातेदार,

उपरोक्त अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	106	0.12	संग्राम सिंह पुत्र रघुवीर हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा.देह खातेदार,
	107	0.18	
	108	0.18	
	109	0.39	
	110	0.21	
	120	0.11	
	953/105	0.12	
	955/916	0.04	

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 25-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


 प्राधिकृत अधिकारी
 एवं उपायुक्त
 जौन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
 ज.वि.प्रा., जयपुर
 जौन-19

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101985

दिनांक: 26/06/2022

लोक सूचना

श्री अंकित फतेहपुरिया पुत्र श्री सुर्यकान्त फतेहपुरिया जाति महाजन निवासी सी-37-बी, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर।

श्री अरुण फतेहपुरिया पुत्र श्री शंकर लाल फतेहपुरिया जाति महाजन निवासी 209, गंगा बिल्डिंग, श्री दुर्गादत्त थर्ड, सी.एच.एस. लिमिटेड, रानी सती मार्ग, स्टेशन के पास, मलार्ड ईस्ट, मुम्बई।

श्री दीपक फतेहपुरिया पुत्र श्री शंकर लाल फतेहपुरिया जाति महाजन निवासी सी-37-बी, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर।

मैसर्स ओम सरोवर प्रोजेक्ट एलएलपी जरिये पार्टनर श्री सतवीर सिंह पुनियां पुत्र श्री विद्याधर आर्या जाति जाट निवासी 44/45 गोविन्द नगर, अजमेर रोड, जयपुर।

श्रीमती मीना फतेहपुरिया पत्नि श्री सुर्यकान्त फतेहपुरिया जाति महाजन निवासी सी-37-बी, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्.)
1.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स ओम सरोवर प्रोजेक्ट एलएलपी	281	15429.00	1.5429
2.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स ओम सरोवर प्रोजेक्ट एलएलपी	282	28454.00	2.8454
3.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स ओम सरोवर प्रोजेक्ट एलएलपी	283	7841.00	0.7841
4.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	अंकित, अरुण, दीपक एवं मीना देवी	286	23016.00	2.3016
5.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	अंकित, अरुण, दीपक एवं मीना देवी	287	14796.00	1.4796
6.	मांचवा, जयपुर (जयपुर)	अंकित, अरुण, दीपक एवं मीना देवी	288	23143.00	2.3143
				कुल	11.2679

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.07.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जदिप्रा / उपा / पी.आर.एन.(दक्षिण-प्रथम) 2022 / डी-1592

दिनांक: 25/7/22

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन / भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम) जदिप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ती हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/ प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.सं	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	श्रीमती अनुपमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	48	266.66
2	श्रीमती अनुपमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	47	266.66
3	श्री सुरेश देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	51	266.66
4	श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री राम सहाय गुप्ता शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	11	348.00
5	श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीता राम गुप्ता शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	53	223.04
6	श्री गजराज सिंह शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	37	366.66
7	डॉ राम सिंह बैथाडिया पुत्र श्री गोपीराम बैथाडिया शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति अशोक विहार	69	433.33

उपायुक्त
जोन पी.आर.एन.(दक्षिण - प्रथम),
जदिप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि: -

1. विशेषाधिकारी (जन - सम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को आज दिनांक को निर्धारित रोस्टर के अनुसारसामाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाये। उक्तविज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जाये।

नोट - विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फोन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन पी.आर.एन.(दक्षिण- प्रथम),
जदिप्रा, जयपुर

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष: (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय); फैक्स: +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)